

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378] No. 378] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 28, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015

का.आ. 534(अ).—जबिक, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) का अधिनियमन व्यक्तियों तथा संघों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को और अधिक प्रभावी निवारण मुहैया कराने तथा आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए किया गया है;

और जबिक, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के अंतर्गत 'आतंकी संगठन' का अभिप्राय ऐसे संगठन से है जो, प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध हो अथवा ऐसा कोई संगठन, जो उसी नाम, जिस नाम से कोई संगठन इस तरह से सूचीबद्ध किया गया हो, के तहत अभियान चला रहा हो;

और जबिक, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में ऐसे आतंकी संगठनों को अंतर्विष्ट/विनिर्दिष्ट किया गया है;

और जबिक, इसलामी देश/ईराक़ तथा लीवांत के इसलामी देश/ईराक तथा सीरिया के इसलामी देश/ 'दायेश', एक ऐसा आतंकी गुट, जो ईराक और पड़ोसी देशों में अभियान चला रहा है, निर्दोष नागरिकों तथा सुरक्षा बलों की हत्या के रूप में आतंकवाद का सहारा लेने के अलावा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों को उखाड़ कर अपना निजी 'खिलाफत' (कैलिफेट) स्थापित करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 'वैश्विक जेहाद' हेतु युवाओं को भर्ती करके उस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आतंकी कार्रवाइयों का सहारा ले रहा है;

और जबिक, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि इसलामी देश/ईराक तथा लीवांत के इसलामी देश/ईराक और सीरिया के इसलामी देश/'दायेश' भारत सहित विभिन्न देशों के सुकुमार युवाओं के अतिवादीकरण और भर्ती में संलिप्त है;

825 GI/2015 (1)

और जबिक, भारत से युवाओं की उक्त उग्रवादी समूहों में इस तरह की भर्ती और उनका अतिवादीकरण देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है, विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले उस असर के संबंध में, जब ऐसे युवा भारत वापस आते हैं;

और जबिक, केन्द्रीय सरकार इस पर संतुष्ट है कि इसलामिक देश/ईराक तथा लीवांत के इसलामी देश/ईराक तथा सीरिया के इसलामी देश/दायेश एक आतंकी संगठन है और वह उक्त संगठन तथा उसके समस्त प्रादुर्भावों को उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में जोड़े जाने का निर्णय लेती है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:—

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्रम सं. 37 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, नामतः—

''38. इसलामी देश/ईराक एवं लीवांत के इसलामी देश/ईराक़ एवं सीरिया के इसलामी देश/'दायेश' तथा इसके समस्त प्रादुर्भाव।''

[फा. सं. 11034/28/2014-आई.एस.-VI] एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2015

S.O. 534(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities;

And whereas, under clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organization listed in the First Schedule or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains/ specifies the list of such terrorist organizations;

And whereas the Islamic State/Islamic State of Iraq and Levant/Islamic State of Iraq and Syria/Daish, a terrorist outfit operating in Iraq and neighbouring countries, has been resorting to terrorist actions to consolidate its position in that area by recruiting youth for 'Global Jehad' to achieve the objective of establishing its own 'caliphate' by overthrowing democratically elected governments, besides resorting to terrorism in the form of killing of innocent civilians and security forces;

And whereas, the Central Government believes that the Islamic State/Islamic State of Iraq and Levant/Islamic State of Iraq and Syria/Daish is involved in radicalization and recruitment of vulnerable youth from various countries including India;

And whereas, such recruitment of youth to the outfit from India and their radicalisation is a matter of serious concern for the country especially with regard to its likely impact on national security when such youth return to India;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Islamic State/Islamic State of Iraq and Levant/Islamic State of Iraq and Syria/Daish is a terrorist organisation and has decided to add the said organisation and all its manifestations in the First Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the First Schedule to the said Act, namely:—

In the First Schedule to the said Act, after serial number 37 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"38. Islamic State/Islamic State of Iraq and Levant/Islamic State of Iraq and Syria/Daish, and all its manifestations."

[F. No.11034/28/2014-IS-VI]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.